बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11 / न०वि० / गठन–09 / 2025 अधिसूचना संख्या–3060 दिनांक–04/10/25 को निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Notification

Memo No-11/N. Vi./Gathan-09/2025 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of the persons who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the date of publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section 5 of the said Act.

Draft Order

Memo No- 11/N. Vi./Gathan-09/2025 /In exercise of powers conferred by Section-8 (c) of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar hereby declares the following areas falling under Daudnagar Block of the District of Aurangabad whose boundary, area and population are noted below to be included in the Nagar Parishad, Daudnagar:-

Sl. no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Urban Body	Area of Urba-n Body	Total Populat-ion of Urban Body (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District- Aurangabad					
1	Nagar Parishad, Daudnagar	Nagar Parishad, Daudnagar (Ward no. 01 to 27)	North-Guma(49), Akodha(48), Pilchhi (76) South-Thakur Bigha, Daudnagar (50),	19 Sqare K.M.	61700

		Bhakharuwa-(75) Tarari (Partial-74)	Beladi (53) Tarari (74) East- Tarar(77), Pilchhi (76) West-Son River, Daudnagar (50)		

This area will be called Nagar Parishad, Daudnagar.
2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

4/x/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government.

Memo No-11/N. Vi./Gathan-09/2025 3060 UD&HD Dated:- 04/10/25

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

4/x/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government.

Memo No-11/N. Vi./Gathan-09/2025 3060 UD&HD Dated:- 04/10/25

Copy to Private Secretary to the Honorable Chief Minister/ Private Secretary to the Honorable Minister Urban Development and Housing Department/Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary/ All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All District Magistrates/Municpal Commissioner, All Municipal Corporation/Excutive Officer, All Municipal Council and Nagar Panchayat/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, Aurangabad for information and necessary action.

4/x/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government.

Memo No-11/N. Vi./Gathan-09/2025 3060 UD&HD Dated:- 04/10/25

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna/Director of Census Directorate, Bihar, Patna for information and necessary action.

4/x/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government.

Memo No-11/N. Vi./Gathan-09/2025 3060 UD&HD Dated:- 04/10/25

Copy to Private Secretary to the Secretary/All Officer/IT, Manager, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

4/x/25

(Abhay Kumar Singh)
Secretary to Government.

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11/न0वि0/गठन–09/2025 3060 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 सह पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित प्रारूप आदेश प्रकाशित करना चाहते हैं, जिससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या–11/न0वि0/गठन–09/2025 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–8 (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन प्रशासनिक प्रावधान करने के प्रयोजनार्थ औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या नीचे दी गई है, नगर परिषद, दाउदनगर में शामिल होना घोषित करते हैं:–

क्र0 सं0	प्रस्तावित नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर निकाय का क्षेत्रफल	प्रस्तावित नगर निकाय की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम–औरंगाबाद					
1	नगर परिषद, दाउदनगर	नगर परिषद, दाउदनगर (वार्ड सं0 01 से 27) भखरूआँ (75) तरारी (आंशिक–74)	उत्तर – गुमा (49), अकोढ़ा (48), पिल्छी (76) दक्षिण –ठाकुर बिगहा, दाउदनगर (50), बेलाढ़ी (53), तरारी (74) पूरब– तरार (77), पिल्छी (76) पश्चिम–सोन नदी, दाउदनगर (50)	19 वर्ग कि0मी0	61700

इस क्षेत्र को नगर परिषद, दाउदनगर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–09/2025 3060/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–01/10/25

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–09/2025 3060/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–01/10/25

प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–09/2025 3060/न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–01/10/25

प्रतिलिपि:–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।